1.15 20/3/2024

पत्रा. पेश हुई। प्रार्थी मय वकील के अनुपस्थित। प्रार्थी का दावा आज हाजरी आज पेशी में खारिज किया जा चुका है। अब इस प्रार्थना-पत्र 212 RTA का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 212 RTA इसी तौर पर खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2024.09.05 16:29:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को नकल दुबारा होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with CamScanner